प्रेस विज्ञप्ति

पीपुल्स कालेज आफ मेडिकल सांइसेस एवं रिसर्च, भोपाल एवं कालेज ऑफ डेन्टल साइंस एण्ड हास्पिटल राऊ, की 50 प्रतिशत सीटें द्वितीय कांउसिलिंग के पश्चात् रिक्त रही सीटों में आवंटित की जावेंगी ।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा दो पृथक–पृथक याचिकाओं में पारित अनन्तिम निर्णयों में पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल सांइसेज एवं रिसर्च भोपाल की 150 एम.बी.बी.एस. सीट्स व कॉलेज ऑफ डेन्टल साइंस एण्ड हॉस्पीटल राऊ की 60 बी.डी.एस. सीट्स पर अनन्तिम प्रवेश की अनुमति दी गई है ।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23 से 25 सितम्बर, 2009 तक आयोजित निजी मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों की कांउसिलिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में 50 प्रतिशत सीट्स शासन द्वारा भरी जावेंगी ।

नियमानुसार जिन उम्मीदवारों को पूर्व में निजी दंत महाविद्यालय आवंटित हुए हैं वे मेरिट अनुसार उपस्थित होकर एम.बी.बी.एस. की सीट्स पुर्नआवंटित करा सकते हैं ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश